भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 97

गुरूवार, 20 जुलाई, 2023/29 आषाढ़, 1945 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लक्ष्य

97. श्री नीरज डांगीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत राजस्थान राज्य में अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस योजना द्वारा तय किए गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत धनराशि का कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं होता है। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 2272.82 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। योजना के आरंभ से दिनांक 08.07.2023 तक देश में 60.42 लाख लाभार्थियों को 9552.08 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। राजस्थान राज्य में, 3.26 लाख लाभार्थियों को 538.98 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

इस योजना का उद्देश्य कुल 71.80 लाख सदस्यों को लाभ पहुंचाना था। हालाँकि, पंजीकरण की अंतिम तिथि तक, इस योजना के तहत कुल 75.11 लाख पंजीकरण हुए है।

*****